

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 6(1)राज-6/2014 पार्ट-1 / 15 जयपुर, दिनांक 14/5/2015

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 उप धारा (1) सहपृष्ठि धारा 260 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का, संबंधित जिला कलकटरों के निर्देश पर राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत सहायक कलकटर्स द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा। यह अधिसूचना राजस्व लोक अदालत अभियान 18.5.15 से राजस्व लोक अदालत अभियान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।


(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, राजस्व विभाग (स्वतन्त्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
6. समस्त जिला कलकटर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक 14/5/15 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
10. निदेशक, जनसम्पर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
11. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव 14/5/15